

सं0सं0-3 / विविध-01-19 / 2026

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषय: स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत कार्यरत बिहार स्वास्थ्य सेवा (सामान्य एवं विशेषज्ञ)/दंत चिकित्सक सेवा सम्वर्ग के चिकित्सकों को उच्च शिक्षा एवं विभिन्न प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रदान करने के संबंध में।

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत कार्यरत बिहार स्वास्थ्य सेवा (सामान्य एवं विशेषज्ञ)/दंत चिकित्सक सेवा सम्वर्ग के चिकित्सकों को उच्च शिक्षा एवं विभिन्न प्रयोजन (यथा:-सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर/डी0एन0बी0-स्पॉन्सर्ड सीट इत्यादि, जिसमें विभागीय अनापत्ति/अनुमति की आवश्यकता हो) हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है।

02. प्रायः यह देखा जाता है कि चिकित्सकों की नियुक्ति-सह-पदस्थापन के उपरान्त उच्च शिक्षा एवं अन्य प्रयोजन हेतु अवकाश/अध्ययन में जाने के फलस्वरूप पदस्थापित संस्थान में कार्यरत बल में अत्यंत कमी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है एवं चिकित्सीय कार्य प्रभावित होता है। पुनः चिकित्सकों का अध्ययन अवकाश में जाने के कारण उक्त पद को उनके लिए अध्ययन अवधि तक सुरक्षित रखना पड़ता है, जिसके कारण संस्थान में रिक्त हुए पद के विरुद्ध नई नियुक्ति नहीं की जा सकती है, जिससे नई नियुक्ति भी प्रभावित होती है।

03. साथ ही यह भी संज्ञान में आ रहा है कि चिकित्सक लंबी अवधि तक अवकाश/अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं तथा उच्च शिक्षा एवं विभिन्न प्रयोजन हेतु चयनोपरान्त इनके द्वारा पदस्थापित स्थान पर योगदान कर उच्चतर अध्ययन हेतु विरमित हो जा रहे हैं।

04. इसके अतिरिक्त, चिकित्सकों के द्वारा दूसरे राज्य में उच्चतर विषय में अध्ययनोपरान्त उस राज्य के बॉण्ड के निर्धारित अवधि के अनुसार बॉण्ड पूरा करने हेतु भी अनापत्ति का अनुरोध किया जा रहा है।

05. उपरोक्त वर्णित स्थिति में चिकित्सकों को अनापत्ति प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट दिशानिर्देश की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। अतः सम्यक विचारोपरांत राज्य के निवासियों को चिकित्सीय सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए बिहार स्वास्थ्य सेवा (सामान्य एवं विशेषज्ञ)/दंत चिकित्सक सेवा सम्वर्ग के चिकित्सकों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए अनापत्ति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नवत निर्णय लिया जाता है:-

(क) उच्चतर अध्ययन के लिए:- बिहार राज्य के बाहर किसी चिकित्सा महाविद्यालय एवं राज्य के अन्तर्गत निजी संस्थानों में उच्चतर अध्ययन के लिए चिकित्सकों को निम्नवत शर्तों को पूरा करने के उपरान्त अनापत्ति प्रदान की जाएगी।

(i) सेवा सम्पुष्ट हो।

(ii) तीन वर्ष की नियमित/लगातार कार्य करने की सम्पुष्टि नियंत्रि पदाधिकारी के द्वारा की गई हो।

(iii) चिकित्सकों को उच्चतर अध्ययन कर विभाग में योगदान देने के पश्चात कम से कम पाँच वर्षों तक पुनः राज्य के बाहर एवं निजी संस्थानों में उच्चतर अध्ययन के लिए अनापत्ति नहीं दिया जाएगा।

508(3)

5/6/26

कृ०प०उ०

- (iv) चिकित्सकों को उच्चतर अध्ययन के लिए निर्धारित आवेदन करने के समय सीमा के एक माह पूर्व विभागीय अनुमति हेतु आवेदन समर्पित करना होगा। तत्पश्चात् ही नामांकन/काउंसलिंग अथवा चयनित संस्थान में योगदान करने हेतु अनुमति/अनापत्ति प्रदान की जाएगी।
- (v) पी0जी0/डी0एन0बी0 (स्पेशियलिटी) तथा डी0एम0/एम0सी0एच0/डी0एन0बी0 (सुपरस्पेशियलिटी) हेतु अनापत्ति इस शर्त पर प्रदान होगी कि जिस संस्थान में उनके द्वारा नामांकन (राज्य के बाहर) लिया जाएगा, वहाँ अध्ययनोपरान्त बॉण्ड की व्यवस्था न हो अथवा अन्य राज्यों में उच्चतर अध्ययन पी0जी0/डी0एन0बी0 (स्पेशियलिटी) तथा डी0एम0/एम0सी0एच0/डी0एन0बी0 (सुपरस्पेशियलिटी) अध्ययन हेतु अनापत्ति तभी प्रदान की जाएगी, जब संबंधित चिकित्सक इस आशय का प्रथम कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र उपलब्ध कराएंगे कि बॉण्ड से आच्छादित संस्थान में उनके द्वारा नामांकन नहीं लिया जाएगा अथवा उनके द्वारा अध्ययनोपरान्त अनिवार्य रूप से बंधपत्र विच्छेदन किया जाएगा एवं अनुमानित राशि का भुगतान उक्त राज्य/संस्थान को करते हुए बिहार सरकार में सेवा देंगे। बॉण्ड की राशि का भुगतान करने की जिम्मेवारी/जबावदेही अध्ययनरत करनेवाले चिकित्सकों की होगी। इस संबंध में यह भी स्पष्ट करना है कि बिहार राज्य अन्तर्गत **“विभागीय संकल्प सं0-450(1) दिनांक-15.04.2017 एवं संशोधित संकल्प सं0-1092(17) दिनांक-04.10.2025 के अन्तर्गत पी0जी0 बॉण्ड से आच्छादित चिकित्सक जो बॉण्ड के अन्तर्गत राज्य सरकार में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों, उनकी सेवा बॉण्ड अवधि के अन्तर्गत पूर्ण मानी जायेगी।”**
- (vi) चिकित्सकों के द्वारा सेवा में आने के पूर्व या पश्चात् किसी भी विषय में पी0जी0 की डिग्री धारित करने पर पुनः अन्य पी0जी0 पाठ्यक्रम के लिए अनापत्ति प्रदान नहीं की जाएगी।
उसी प्रकार सेवा में आने के पूर्व या पश्चात् सुपरस्पेशियलिटी की डिग्री होने पर पुनः अन्य किसी सुपरस्पेशियलिटी पाठ्यक्रम के लिए अनापत्ति नहीं दी जाएगी।
- (vii) चिकित्सक जिस विषय में पी0जी0 उत्तीर्ण है, भविष्य में उन्हें उसी विषय में नियमानुसार उच्चतर अध्ययन एवं सीनियर रेजिडेंट हेतु अनापत्ति प्रदान की जाएगी।
- (viii) बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के उप सम्वर्ग (विशेषज्ञ चिकित्सक) जिस विशेषज्ञता में पद धारण करते हैं, नियमानुसार उन्हें उसी विषय हेतु डी0एम0/एम0सी0एच0/डी0एन0बी0 (सुपरस्पेशियलिटी) हेतु अनापत्ति प्रदान किया जाएगा।
- (ix) संगत वर्ष में उच्चतर अध्ययन के लिए सामान्य/विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी सम्वर्ग के कुल स्वीकृत बल का 03% (तीन प्रतिशत) चिकित्सकों को अनापत्ति प्रदान की जाएगी, जो चिकित्सकों को वरीयता तथा आवेदन समर्पित करने की तिथि के आधार पर देय होगा।

508(3)

5/6/26

कृ०प०उ०

- (x) चिकित्सक को अनापत्ति प्रदान करने के उपरांत यदि पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण को बीच में बिना पूर्ण किए छोड़कर विभाग में योगदान करते हैं तो उन्हें पुनः अनापत्ति प्रदान नहीं की जाएगी।
- (xi) जैसे चिकित्सक जिनका सेवाकाल तीन वर्ष या उससे कम हो उन्हें उच्चतर अध्ययन हेतु अनापत्ति प्रदान नहीं की जाएगी।

(ख) **पी0जी0 स्पोर्ट्स डी0एन0बी0 (पोस्ट एम0बी0बी0एस0 एवं पोस्ट डिप्लोमा)**

सीट हेतु:- स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0 643(1) दिनांक 04.09.2023 से राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (आयुर्विज्ञान), नई दिल्ली द्वारा आयोजित पी0जी0 स्पोर्ट्स डी0एन0बी0 (पोस्ट एम0बी0बी0एस0 एवं पोस्ट डिप्लोमा) सीट हेतु राज्य सरकार के अधीन नियमित रूप से कार्यरत चिकित्सकों को निम्नवत अनापत्ति प्रदान की जाएगी।

सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी सम्बर्ग के जैसे चिकित्सकों को संकल्प के कंडिका-02 में अंकित शर्तों के साथ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय में नामांकन हेतु सवैतनिक अनापत्ति प्रदान की जाएगी, परन्तु राज्य के बाहर के चिकित्सा महाविद्यालयों में नामांकन हेतु निम्न शर्तों को पूरा करने के उपरान्त अनापत्ति प्रदान की जाएगी :-

- (i) सेवा सम्पुष्ट हो।
- (ii) तीन वर्ष की नियमित/लगातार कार्य करने की सम्पुष्टि नियंत्रि पदाधिकारी के द्वारा की गई हो।
- (iii) पी0जी0 स्पोर्ट्स डी0एन0बी0 (पोस्ट एम0बी0बी0एस0 एवं पोस्ट डिप्लोमा) सीट के तहत चिकित्सक को बिहार राज्य के बाहर के चिकित्सा संस्थानों में नामांकन हेतु अवैतनिक अनापत्ति प्रदान की जाएगी, जो सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्वीकृत बल का 02% (दो प्रतिशत) वरीयता एवं आवेदन समर्पित करने की तिथि के आधार पर देय होगी। यह संगत वर्ष उच्चतर अध्ययन के लिए कंडिका-क (ix) में निर्धारित सीटों के अतिरिक्त होगा।

(ग) **सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर हेतु:-**चिकित्सकों को सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर (राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय को छोड़कर) हेतु अनुमति निम्नवत शर्तों के पूरा करने के उपरान्त दी जाएगी।

- (i) सेवा सम्पुष्ट हो।
- (ii) तीन वर्ष की नियमित/लगातार कार्य करने की सम्पुष्टि नियंत्रि पदाधिकारी के द्वारा की गई हो।
- (iii) चिकित्सकों को उच्चतर अध्ययन कर विभाग में योगदान देने के पश्चात कम से कम पाँच वर्षों तक बिहार राज्य के बाहर पुनः सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के लिए अनापत्ति नहीं दिया जाएगा।

508(3)
5/6/26

✓

कृ०प०उ०

- (iv) बिहार सरकार द्वारा वित्त पोषित/भारत सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थान यथा एम्स, आई0जी0आई0एम0एस0, पी0जी0आई0 एवं अन्य विशिष्ट महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थानों में टेन्चोर अवधि के लिए अति आवश्यक समझे जाने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र इन्हें सम्पूर्ण सेवाकाल में मात्र एक बार शर्तों को शिथिल कर प्रदान की जा सकेगी (परन्तु इस मामले में विभाग का निर्णय अंतिम होगा तथा इस संबंध में अभ्यर्थी द्वारा कोई दावा नहीं किया जा सकेगा)।
- (v) चिकित्सकों को निजी संस्थान में सीनियर रेजिडेंट करने हेतु अनापत्ति प्रदान नहीं की जाएगी।
- (vi) सीनियर रेजिडेंट हेतु सामान्य/विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी सम्बर्ग के कुल स्वीकृत बल का 01% (एक प्रतिशत) चिकित्सकों को अनापत्ति प्रदान की जाएगी, जो चिकित्सकों को वरीयता के आधार पर एवं आवेदन समर्पित करने की तिथि के आधार पर देय होगा।

(घ) **अन्य सेवा में जाने हेतु:**—चिकित्सकों को राज्य एवं राज्य के बाहर के अन्य संस्थानों में मात्र अपने धारित पद से उच्च पद एवं उच्चतर वेतनमान के पदों के चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनापत्ति प्रदान की जाएगी।

(ड) लंबी अवधि तक अवकाश/अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सकों को राज्य के अन्दर तथा बाहर के चिकित्सा संस्थानों में उच्च शिक्षा अध्ययन/ सीनियर रेजिडेंट एवं अन्य अनुमान्य प्रयोजन हेतु अनापत्ति पुनः पदस्थापित स्थल पर योगदान करने के एक वर्ष के नियमित सेवा के उपरान्त ही देय होगा।

06. चिकित्सकों के अनापत्ति प्रदान किए जाने से संबंधित पूर्व से निर्गत परिपत्र/आदेश/संकल्प/अधिसूचना इस हद तक अवक्रमित समझा जाएगा।

07. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक **03.06.2026** के मद संख्या—**11** द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/—

(कुमार रवि)

सचिव

ज्ञापांक: 3/विविध-01-19/2026 508(3)/स्वा0, पटना, दिनांक: 5/6/2026

प्रतिलिपि: मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/विधि विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक **03.06.2026** के मद संख्या—**11** के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र (गजट) के अगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना, बीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

- प्रतिलिपि:** कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/विशेष सचिव, गृह (कारा एव पुलिस), विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्राचार्य/अधीक्षक, सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी अपर निदेशक/सभी अधीक्षक/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0स्वा0 केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/बिहार स्वास्थ्य सेवा (सामान्य एवं विशेषज्ञ)/दंत चिकित्सक सेवा सम्वर्ग के चिकित्सकों के सभी नियंत्री पदाधिकारी/बिहार स्वास्थ्य सेवा (सामान्य एवं विशेषज्ञ)/दंत चिकित्सक सेवा सम्वर्ग के सभी चिकित्सकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** विभागीय डाटा ऐनालिस्ट, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

508(3)
5/6/26

5/6/26
सचिव